



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 2011/माघ 11, 1932

No. 163]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 2011/MAGHA 11, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2011

का.आ. 199(अ).—यतः, मै. लेनको सोलर प्राईवेट लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम महरूमकुर्द एवं चवरदाल, जिला राजनन्दागांव में एक क्षेत्र विशिष्ट सोलर विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 10 मई, 2010 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महूरूमकुर्द	11	754	2.047
2.			703/1 (भाग)	12.200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	चवरदाल	11	267/1	10.494
4.			391/1 (भाग)	76.541
कुल				101.282

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:—

- विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, —सदस्य, पदेन
बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
7. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित किए जाने —सदस्य, पदेन
वाले दो अधिकारी जिनका स्तर
संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
8. मै. लेनको सोलर प्राईवेट लिमिटेड —विशेष
(जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि आमंत्रित

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2011 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/10/2010-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2011

S.O. 199(E).—Whereas, M/s. Lanco Solar Private Limited, a private organization, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Solar Special Economic Zone at Villages Mahroomkurd and Chawardhal, District Rajnandgaon in the State of Chhattisgarh;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 10th May, 2010;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Act, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Village	Khata No.	Khasra No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mahroomkurd	11	754	2.047
2.			703/1 (Part)	12.200
3.	Chawardhal	11	267/1	10.494
4.			391/1 (Part)	76.541
			Total	101.282

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—

1. Development Commissioner of the Special Economic Zone —Chairperson ex-officio
2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India —Member, ex-officio
3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
4. Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
5. Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
6. Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
7. Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Chhattisgarh —Members, ex-officio
8. Representative of M/s. Lanco Solar Private Ltd. (Developer of the zone) —Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 31st day of January, 2011 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/10/2010-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.